सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

Save Paper.
Save Trees.
Save the World.

टेलिफैक्स
Telefax +91-135- 2744064, 2743331
वेबसाईट
Website www.surveyofindia.gov.in
ई-मेल
E-Mail sgo.e1.soi@gov.in

भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
Office of the Surveyor General of India
हाथीबड़कला एस्टेट, डाक बक्स सं.37
Hathibarkala Estate, Post Box No. 37
देहरादून-248 001 (उत्तराखण्ड), भारत
DEHRA DUN-248 001 (Uttarakhand), India

सं. स्था.1-3779 /1904-पी.सी. दिनांक Dated: 03 अगस्त Aug, 2017

सेवा में

अपर महासर्वेक्षक: दक्षिणी क्षेत्र/विशिष्ट क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र/भारतीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संस्थान/मध्य क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र/उत्तर पूर्वी क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र/मुद्रण क्षेत्र।

अपर महासर्वेक्षक/निदेशक: पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/पूर्वी उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/महाराष्ट्र एवं गोआ भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/अंतर्राष्ट्रीय सीमा निदेशालय/कर्नाटका भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/राष्ट्रीय भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/झारखण्ड भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/मेघालय एवं अरूणाचल प्रदेश भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/ राजस्थान भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/मध्य प्रदेश भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/हिमाचल प्रदेश भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/आसाम एवं नागालैंड भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/ उत्तराखण्ड एवं पश्चिम उ०प्र० भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा/छत्तीसगढ़ भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/तमिलनाडु, पाँडिचेरी एवं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र/उडी़सा भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/सर्वेक्षण(हवाई) एवं दिल्ली भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/भौगोलिक सूचना पद्धति और सुदूर संवेदन निदेशालय/त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/जम्मू व कश्मीर भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/ गुजरात, दमन व दीव भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/अंकीय मानचित्रण केन्द्र/केरल एवं लक्षद्वीप भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/उत्तरी मुद्रण वर्ग/पूर्वी मुद्रण वर्ग/पश्चिमी मुद्रण वर्ग/दक्षिणी मुद्रण वर्ग।

विषय: **सातवें वेतन आयोग में प्रमोशन/संशोधित सुनिश्चित कैरियर उन्नयन(एम.ए.सी.पी.) पर अगले वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन का निर्धारण।**

विषयांकित मामले में अधिकारियों/कर्मचारियों के कई प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुए है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दिनांक 25-07-2016 के संकल्प सं0 1-2/2016-IC द्वारा सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ संशोधनों सहित स्वीकार कर CCS(RP) Rules, 2016 लागू किया गया। तदुपरांत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यव विभाग तथा भारत सरकार, पेंशन एवं कार्मिक मंत्रालय, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा सातवां वेतन आयोग लागू किए जाने से संबंधित कई आदेश/कार्यालय ज्ञापन जारी किए गये है जिनमें संशोधित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की विधियों का उल्लेख व स्पष्टीकरण है। सभी कार्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित विभाग की अधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध आदेश/कार्यालय ज्ञापन/स्पष्टीकरण आदि में वर्णित नियमों/आदेशों का अक्षरशः पालन करें।

क्रमशः ..2..

2. विषयांकित मामले में भारत सरकार, पेंशन एवं कार्मिक मंत्रालय, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27-07-2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13/02/2017-Estt.(Pay-I) का संदर्भ लें। भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा एम.ए.सी.पी. के लिए जारी दिनांक 19-05-2009 के कार्यालय ज्ञापन सं0 35034/3/2008-Estt.(D) के अनुलग्नक-I के पैरा 4 और 7 के अनुसार यह स्पष्ट है कि एम.ए.सी.पी. प्रदान किए जाने पर वेतन निर्धारण के लिए सामान्य प्रमोशन के नियम तथा मूल नियम 22(1)(ए)(i) के अंतर्गत विकल्प भी उपलब्ध है। उपर्युक्त वर्णित विभागों द्वारा इस मामले में जबतक अन्य आदेश/स्पष्टीकरण जारी नहीं किए जाते है तबतक एम.ए.सी.पी के मामले में भी दिनांक 27-07-2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार ही कार्रवाई करें, संबंधित कार्मिकों से यह वचनबंध (Undertaking) प्राप्त कर लें कि भविष्य में नियमों के संबंध में अन्यथा स्पष्टीकरण प्राप्त होने की अवस्था में वेतन का पुनर्निधारण किया जाएगा तथा अतिरिक्त राशि की एकमुश्त वसूली की जाएगी। तदनुसार निम्नलिखित कार्यालयों से प्राप्त मामलों का निपटान करें:-

1. अपर महासर्वेक्षक, मध्य क्षेत्र का दिनांक 26-04-2017 का पत्र सं0 278/18-ए-12(फिक्स)
2. अपर महासर्वेक्षक, विशिष्ट क्षेत्र का दिनांक 21-06-2017 का पत्र सं0 1758/18-ए-12(PC)
3. अपर महासर्वेक्षक, दक्षिणी क्षेत्र का दिनांक 21-09-2016 का पत्र सं0 1713/हि-18-A-16-1 (7th CPC)
4. भौगोलिक सुचना पद्धति और सुदूर संवेदन निदेशालय का दिनांक 02-12-2016 का पत्र सं0 A-2000/ 18-A-12(PC)/GIS&RS DTE एवं दिनांक 07-09-2016 का पत्र सं0 A-1567/18-A-12 (PC)/GIS&RS

3. उपर्युक्त वर्णित विभागों द्वारा अब तक जारी आदेश/स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित का अनुपालन भी सुनिश्चित करें:-

(i) सातवें वेतन आयोग में वेतन संशोधन के लिए दिया गया विकल्प (Option) अंतिम है और इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

(ii) मूल नियम 22(1)(ए)(i) के अंतर्गत निर्धारित अवधि (1 माह) तक दिया गया विकल्प बाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। केवल भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0 1-6/2016-IC(Pt.) दिनांक 29-09-2016 के अंतर्गत ही, ज्ञापन जारी होने की तिथि से एक माह तक की अवधि में अर्थात् दिनांक 28-07-2016 तक विकल्प परिवर्तित करने की छूट दी गयी है।

अमरदीप

(अमरदीप सिंह)
कर्नल
उप महासर्वेक्षक
कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि: केन्द्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, देहरादून/क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, जयपुर/हैदराबाद/कोलकाता को सूचनार्थ ।

प्रतिलिपि: स्थापना एवं लेखा अधिकारी, प्रशा.(म.स.का.)/गोपनीय(म.स.का.)

प्रतिलिपि: प्रभारी, सर्वे ऑफ इंडिया वेबसाईट - विभागीय वैबसाईट में अपलोड करने हेतु।